



590/1

दूरध्वा- 2286709  
2286710

नव लोकनाल कंडा, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-282001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : १८८० / ०५/७६/एक/२०१५-१६

दिनांक : २२ मार्च २०१६

सेवा में

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभियान

जनपद-शामली।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूड़ा द्वारा आपके जनपद (हुड़ा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मालिन वर्सियों में खींचूट परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मालिन वर्सियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवगुक्त की जा रही है-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु ० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50084784336	IFSC Code ALLA0211937	279.259 (धनराशि लाख रु ० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मालिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय फिल्टर की धनराशि का प्रेषण
1	शामली	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०५० कैरेना	मोहल्ला गोलानान कांघला में बारूद फैक्ट्री से अफजल गंगवर के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.466
2	शामली	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०५० कैरेना	पीरजादगान में एजाज पौर जी के प्लाट से नवाब तालाब तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.909
3	शामली	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०५० कैरेना	पीरजादगान में अब्दुल कादिर की दुकान से नवाब तालाब तक, तालाब वाली मसिजद से निरास के मकान तक, पीर जी के मकान (तालाब के दक्षिण राइड के कोने) से गीर हसन के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	28.922
4	शामली	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०५० कैरेना	खेलगला में गफूर के मकान से जुम्मन के मकान तक, मारटर नासिर के मकान से सालीम अहमद के मकान तक, ताहिरा के मकान से जाहिद हसन के मकान तक, लियाकत के मकान से पानीपत वाले के मकान तक, मरगूव के मकान से विल्लो के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	11.667
5	शामली	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०५० कैरेना	खेलगला में मसिजद से मोहरिन के मकान तक, शकील के मकान से मदरसो तक, शमशाद के मकान से इरफान के मकान तक एवं महमूद के मकान से शेरीन के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.228
6	शामली	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०५० कैरेना	वार्ड न० 41 खेलगला में राशिद के मकान से निजाम मुल्ला के मकान तक, नाईस वाली गली में, अनवार वाली गली में, अहसान वाली गली में इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.369
7	शामली	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०५० कैरेना	वार्ड न० 09 छाड़ीयान में हाजी मुरतुफा के मकान से असार के मकान तक, इलियास के मकान से अख्तर के मकान तक, मुरतुफा टेली के मकान तक, इरलाम के मकान से लियाकत के मकान तक, कब्रियतान से हाजी जमशेद के मकान तक एवं मरगूव आलम के मकान से जाहिद के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	18.257



590/2

दस्तावेज़ 2286709  
2286710

नगर वेतना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्र. सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	दस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किलती की पर्याप्ति का प्रेषण
8	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प० जलालाबाद	मोहल्ला नानू में वालों खार के लौंवर से नाले तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.308
9	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा०प० कैराना	मोहल्ला अफगानान पाठ॑ ए में नाले की पुलिया से राजू सेटारिंग वाले की दुकान तक, राजू सेटारिंग वाले की दुकान से अलीमुद्दीन के मकान तक, नाले के पुल से पठानों के कब्रिस्तान तक, कब्रिस्तान से अलीमुद्दीन के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	18.008
10	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा०प० कैराना	मोहल्ला अफगानान पाठ॑ द्वी में कब्रिस्तान के गेट से नानू के प्लाट तक, नानू के प्लाट से आसिम के कलीनिक तक, कब्रिस्तान के गेट से पलटू रीनी के मकान तक, पलटू रीनी के मकान से आसिम के कलीनिक तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	24.863
11	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा०प० कैराना	मोहल्ला पीरजादगान में पीर साहब की राहन से पानीपत रोड के आस्तीर में जमील अहमद की दुकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.319
12	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा०प० कैराना	मोहल्ला पीरजादगान वार्ड नं. 14 में नगर पालिका की दधुवरेल से नवाब तालाब के दक्षिणी कोने तक, नगर पालिका की दधुवरेल से कब्रिस्तान के कोने तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	30.924
13	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प० बनत	नगर पंचायत बनत पाठ॑ ए में शरीफ के मकान से पुराने आकर्णों तक, शैयदों की मरिजद से छाट के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	19.958
14	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प० बनत	नगर पंचायत बनत पाठ॑ ए में पीडब्ल्यूडी रोड से धारीन बढ़ी के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.394
15	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प० थानाभवन	मोहल्ला करत्चान में नगर पंचायत के सामने से वर्मा के मकान तक, राजिद के मकान से दिल्ली सहारनपुर रोड तक, सुशील के मकान से मदरसा तक, इल्यास के मकान से महफूज के प्लाट तक, लिसाद के मकान से फरयाद के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.496
16	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प० थानाभवन	हाँस्पीटल कालोनी में दिल्ली-सहारनपुर रोड री मैम्बर के ऑफिस तक, मदरसे से यामीन के घर तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	13.488
17	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प० थानाभवन	वार्ड नं. 15 में अग्रलदी वाली मरिजद से समीर तेली के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.025
18	शामली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प० थानाभवन	वार्ड मुल्लापुर घाट में दिल्ली सहारनपुर रोड से मुल्लापुर घाट तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	22.668
	योग				279.259

उपरोक्त अवगुका धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में री०री० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्मत निर्माण दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये।

1— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में री०री० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ढी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात कोटीयाक प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्राकली में रखा जायें।

2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और रुक्ना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।



59013

पूर्वाप 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक पार्क, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर संक्षम स्तर से तकनीकी स्थीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनानार्तगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्थीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भालित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्थीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्थीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7— परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बधित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में रामुचित रख—रखाद में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अधिक के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9— उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं रसीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10— प्रश्नगत परियोजना में गुणलान के पूर्व यथानियम केन्द्र राज्य व स्थानीय करों की स्वीकृति पर कठीनी सम्भवी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्थीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उराकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बधित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगमन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेंटरज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर रोप धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार द्वितीय किश्त की धनराशि रोककर रोप धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

મહારાજા

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, राम्यान्धेत जनपद।
  - अपर निदेशक, रूडा।
  - अधिन अधिकारी—रूडा।
  - काप्टर सेल/लेखा विभाग—रूडा।

(लाल प्रताप रिहाई)  
वित्त नियन्त्रक

  
(लालित प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक